उत्तर प्रदेश सरकार

परिवहन अनुभाग-4

संख्या-4/352/30-4-2014-8(1)/13

लखनऊ: दिनांक 10 मार्च, 2014

अधिसूचना

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस.एल.पी. (सी) संख्या-25237/2010 में दिनांक 10.12.2013 में दिये गये आदेशों के अनुपालन में और भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-का0आ0 52 (अ) दिनांक 11 जनवरी, 2002 एवं साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 108 व 119 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या-1772/30-4-2007-25पी/77 दिनांक 23 अगस्त, 2007, 1397/30-4-2008-25पी/77 दिनांक 04 जुलाई, 2008 तथा 1462/30-4-2010-25पी/77 दिनांक 22 जुलाई, 2010 को अवक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल यह विर्निदिष्ट करते हैं कि किसी यान को जो उच्च पदस्थ व्यक्तियों को ले जा रहा हो, निम्नलिखित का प्रयोग करने की अनुज्ञा होगी :-

श्रेणी "क" - वाहन के शीर्ष अग्रभाग पर फ्लैशरयुक्त लाल बत्ती, जब यान राज्य में कहीं भी ड्यूटी पर हों :-

1. श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
2. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री/पूर्व मुख्यमंत्री,
3. उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष,
4. उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति,
5. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायमूर्ति,
6. उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण,
7. नेता विरोधी दल (उत्तर प्रदेश विधान परिषद/उत्तर प्रदेश विधान सभा),
8. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के न्यायाधीशगण।

श्रेणी "ख" - वाहन के शीर्ष अग्रभाग पर बिना फ्लैशरयुक्त लाल बत्ती जब यान राज्य में कहीं भी ड्यूटी पर हो :-

1. उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के उप समापति,
2. उत्तर प्रदेश की विधान सभा के उपाध्यक्ष,
3. उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री एवं उप मंत्री,
4. मुख्य सचिव,
5. राज्य निर्वाचन आयुक्त,
6. अध्यक्ष, उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग,

http://shasanadesh.up.nic.in

7. अध्यक्ष, उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग,

8. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश,

9. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।

नोट-

- अन्य प्रदेश के उपरोक्त श्रेणी के पदाधिकारियों को उ0प्र0 के शासकीय भ्रमण के दौरान उपरोक्त श्रेणीवार बत्ती की सुविधा अनुमन्य होगी।
- यदि कोई यान, जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी हुई है, उच्च पदस्थ व्यक्तियों को नहीं ले जा रहे हैं, तो ऐसी लाल बत्ती का उपयोग नहीं किया जायेगा और उसे काले आवरण से ढक दिया जायेगा।
- उच्च पदस्थ पदाधिकारियों को लाल बत्ती की उक्त अनुमन्यता केवल शासकीय वाहनों पर ही होगी।

आज्ञा से,
कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-4/352(1)/30-4-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 10 मार्च, 2014 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करने का कष्ट करें। कृपया प्रकाशित अधिसूचना की 500-500 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4 उ0प्र0 सचिवालय, बापू भवन, कक्ष संख्या-320 को तत्काल उपलब्ध करा दी जायें।

आज्ञा से,
जुहेर बिन सगीर
विशेष सचिव।

संख्या-4/352(2)/30-4-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण/मा0 राज्य मंत्रीगण।
4- प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, उ0प्र0।
5- रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9- परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
10- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
11- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
12- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
13- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जुहेर बिन सगीर
विशेष सचिव।

संख्या-4/352(3)/30-4-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि सचिव, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
जुहेर बिन सगीर
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 352 /XXX-4-14-8(1)/2013, dated March 10, 2014

NOTIFICATON No- 4/352 /XXX-4-14-8(1)/2013

Lucknow Dated: March 10, 2014

In compliance of order of Hon'ble Supreme Court of India dated 10-12-2013 in Special Leave Petition (c) 25237/2010 and under the powers conferred in Notification No S.O. 52 (E) Ministry of Road Transport and Highways, Government of India dated 11-1-2002 and under rule 108 & 119 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 read with section 21 of General Clauses Act, 1897 (Act no 10 of 1897) and in suppression of notification no 1772/30-4-2007-25P/77 dated 23 August, 2007, 1397/30-4-2008-25P/77 dated 4 July, 2008, and 1462/30-4-10-25P/77 dated 22 July, 2010, the Governor hereby specifies that a vehicle carrying high dignitaries shall be permitted to use-

Category (a)- Red light with flasher on the top front of the vehicle, while on duty any where in the State -

1- Governor, Uttar Pradesh.
2- Chief Minister/Ex. Chief Minister
3- Speaker Vidhan Sabha, Uttar Pradesh
4- Chairman Vidhan Parishad, Uttar Pradesh
5- Chief Justice, High Court, Allahabad
6- Cabinet Ministers of Uttar Pradesh.
7- Leader of the Opposition (Uttar Pradesh Vidhan Parishad/Vidhan Sabha)
8- Judges of the High Court Allahabad

Category (b) - Red light without flasher on the top front of the vehicle, while on duty any where in the State-

1- Deputy Speaker of U.P. Vidhan Sabha

http://shasanadesh.up.nic.in

2- Deputy Chairman of U.P. Vidhan parishad
3- State Ministers/Deputy Ministers of State
4- Chief Secretary.
5- State Election Commissioner.
6- Chairman, Minority Commission of U.P.
7- Chairman, SC & ST Commission of U.P.
8- Chairman, Public Service Commission of U.P.
9- Advocate General of U.P.

Note-

(1) High dignitaries of above categories shall be permitted to use light in U.P. while on Government duty.

(2) In case the vehicle fitted with red light on top front is not carrying the dignitaries, then such red light shall not be used and be covered by a black cover.

(3) Red light shall be permissible to the high dignitaries only on Govt. Vehicle.

By order

Kumar Arvind Singh Deo
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in